# कार्यकारी सारांश

## १.१ प्रस्तावना

जयगड पॉवरट्रान्स्को कंपनी लिमिटेड (जेपीटीएल) ही सन्माननीय आयोगाने मान्यता दिलेली २००९ च्या प्रेषण परवाना क्र. १ नुसार राज्यांतर्गत प्रेषण परवाना असणारी कंपनी आहे. विद्युत् अधिनियम २००३ मधील तरतूदींन्वये, जेपीटीएलकडे प्रेषण परवाना असल्याने त्यांनी विअ २००३ च्या कलम ६१, ६२ आणि ६४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार आणि त्यातील शासकीय नियमनांनुसार त्यांचे एआरआर आणि शुल्क याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे.

या विभागात जयगड पॉवरट्रान्स्को लिमिटेडने वित्तीय वर्ष २०१७-१८ आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मधील ट्रू अप (वास्तविक खर्च आणि अंदाजे खर्च यांचा ताळमेळ) मंजूरीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर एमवायटी नियमन २०१५ नुसार आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०१४-२५ या नियंत्रित कालावधीच्या एकंदर महसूल आवश्यकतेसाठी एमवायटी नियमन २०१९ नुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा तात्पुरत्या ट्रू अपचा सारांश देण्यात आला आहे.

## १.२ आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ साठीची ट्रू अप

### १.२.१ आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ साठी एआरआर

जेपीटीएलने लेखापरीक्षा केलेल्या वार्षिक खात्यांच्या आधारे आणि एमईआरसी (मल्टी ईअर टेरिफ) नियमन २०१५ नुसार जिथे संबंधीत असतील तिथे निकष लागू करून ट्रू अपसाठी आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ एकंदर महसूल आवश्यकता पूर्ण केली आहे. १२ सप्टेंबर २०१८ च्या प्रकरण क्र १६७/२०१७ मधील एमईआरसी आदेशानुसार सन्माननीय आयोगने मान्यता दिलेल्या मूल्यासह विविध मूल्य घटकांचे तुलनात्मक विवरण हाती घेण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या ट्रू अपसाठी प्रस्तावित एआरआरचा सारांश खाली नमूद करण्यात आला आहे.

**तक्ता १: आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या ट्रू अपचा सारांश (रु. कोटींमध्ये)**

| तपशील | स्वीकृत | प्रत्यक्ष | नफा/(तोटा) सामायीकरणा नंतर निव्वळ हक्क | विचलन | स्वीकृत | प्रत्यक्ष | नफा/(तोटा) सामायीकरणानंतर निव्वळ हक्क | विचलन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | | | | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | | | |
| प्रचालन आणि देखरेख खर्च | ४.४४ | ४.२८ | ४.३७ | -०.०७ | ४.७९ | ३.९१ | ४.२० | -०.५८ |
| घसारा | २९.१० | २९.१० | २९.१० | ०.०० | २९.१२ | २९.११ | २९.११ | -०.०१ |
| दीर्घ मुदत कर्ज व्याज | २४.९३ | २४.८१ | २४.८१ | -०.१२ | १९.४१ | १९.७४ | १९.७४ | ०.३४ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १.७५ | १.७४ | ०.५८ | -१.१७ | १.३७ | १.५२ | ०.५१ | -०.८६ |
| आयकर खर्च | ५.५९ | ६.६० | ६.६० | १.०१ | ५.५९ | ६.०३ | ६.०३ | ०.४४ |
| आकस्मिक राखीव साठी योगदान | १.३८ | १.३८ | १.३८ | ०.०० | १.३८ | १.३८ | १.३८ | ०.०० |
| **एकूण महसुली खर्च** | **६७.१९** | **६७.९०** | **६६.८३** | **-०.३५** | **६१.६५** | **६१.७०** | **६०.९८** | **-०.६७** |
| समभाग भांडवलावरील परतावा | २१.४४ | २१.४४ | २१.४४ | ०.०१ | २१.४६ | २१.४६ | २१.४६ | ०.०० |
| **स्थूल एकूण महसुली आवश्यकता** | **८८.६१** | **८९.३४** | **८८.२८** | **-०.३३** | **८३.११** | **८३.१६** | **८२.४३** | **-०.६८** |
| वजा: शुल्क नसलेले उत्पन्न | ०.६८ | ०.६८ | ०.६८ | ०.०० | ०.७९ | ०.८० | ०.८० | ०.०१ |
| जमा: प्रोत्साहन | ०.०० | १.७४ | १.७४ | १.७४ | ०.०० | १.४१ | १.४१ | १.४१ |
| **निव्वळ एकूण महसुली आवश्यकता** | **८७.९३** | **९०.३९** | **८९.३३** | **१.४०** | **८२.३१** | **८३.७७** | **८३.०४** | **०.७३** |
| जमा: कर्जाच्या पुनर्वित्तीकरणानंतर नफा/(तोटा) सामायीकरणानंतर निव्वळ हक्क | ०.०० | ०.६३ | ०.६३ | ०.६३ | ०.०० | ०.९१ | ०.९१ | ०.९१ |
| जमा: मिळवणी डीपीसी क्रसीडर्ड अँज एनटीआय आर्थिक वर्ष १५-१६ करीता (प्रकरण क्र. २०१७ चे १६७) एपीटीईएल आदेश २०१६ चा २५० आणि आयए क्र. २०१७ चा ८९९. | ०.०० | १६.१९ | १६.१९ | १६.१९ | | | | |
| जमा: अंतर/(अतिरिक्त) आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते आर्थिक वर्ष २०१४-१५ | | | | | -३.४५ | -३.४५ | -३.४५ | ०.०० |
| जमा: अंतर/(अतिरिक्त) आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ते आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | | | | | -५.२८ | -५.२८ | -५.२८ | ०.०० |
| जमा: अंतर/(अतिरिक्त) आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | | | | | -१.९५ | ०.०० | ०.०० | १.९५ |
| वरील महसुली अंतर (अतिरिक्त) यांची वहन किंमत/ (धारण किंमत) | | | | | -३.२२ | -३.२२ | -३.२२ | ०.०० |
| जमा: अतिरिक्त महसुली कराची आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिता वसुली | | | | | ०.०० | ०.७४ | ०.७४ | ०.७४ |
| **पूर्वीचे अंतर समायोजन करून एकूण वार्षिक महसुली आवश्यकता** | **८७.९३** | **१०७.२१** | **१०६.१५** | **१८.२२** | **६८.४१** | **७३.४६** | **७२.७४** | **४.३३** |

### १.२.२ आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मधील महसूलातील फरक

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मधील महसूल वसूली ही सन्माननीय आयोगाने २२ जुलै २०१६ रोजी पारित केलेल्या २०१६ च्या प्रकरण क्र. ९१ नुसार आणि १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी पारित केलेल्या २०१८ च्या प्रकरण क्र. २६५ नुसार निर्धारीत केलेल्या राज्यांतर्गत प्रेषण मूल्यानुसार विचारात घेतली जाईल. याचप्रमाणे, मागील फरक आणि आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि २०१८-१९ दरम्यान झालेली महसूल वसूली लक्षात घेऊन जेपीटीएलने दावा केलेला महसूल फरक खाली देण्यात आला आहे:

**तक्ता २: आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी महसूल फरक (रुपये कोटींमध्ये)**

| अनुक्रम | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ |
|---|---|---|---|
| १ | एकूण एआरआर | १०६.१५ | ७२.७४ |
| २ | प्रेषण दरातून एआरआर वसुली | ८९.४२ | ७६.०६ |
| **३** | **महसुली अंतर** | **१६.७३** | **-३.३२** |

## १.३ आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी तात्पुरते ट्रू अप

### १.३.१ आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी एआरआर

एमईआरसी एमवायटी नियमन २०१५ मधील तरतूदींन्वये, प्रेषण परवान्याच्या कामगिरीची एमवायटी आदेशातील मान्यताप्राप्त पूर्वानुमानासोबत तुलना करून तात्पुरते ट्रू अप तयार केली जाते. याचप्रमाणे, एमईआरसी आदेशाच्या १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी पारित झालेल्या २०१७ च्या प्रकरण क्र १६७ नुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या पहिल्या सहामाहीतील कामगिरीवर आधारित सुधारित पूर्वानुमानासोबत आणि खालच्या तक्यात दिलेल्या इतर घटकांशी मान्यताप्राप्त एआरआरची तुलना केली जाते.

**तक्ता ३: आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या तात्पुरत्या ट्रू अपचा सारांश ( रु. कोटींमध्ये)**

| तपशील | स्वीकृत | प्रत्यक्ष एच १ | अंदाजित एच २ | अंदाजित |
|---|---|---|---|---|
| प्रचालन आणि देखरेख खर्च | ५.०२ | १.९५ | ३.०७ | ५.०२ |
| घसारा | २९.१६ | १४.५५ | १४.५५ | २९.११ |
| दीर्घ मुदत कर्ज भांडवलावरील व्याज | १६.८० | ८.४८ | ८.४८ | १६.९६ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १.५१ | ०.७६ | ०.७७ | १.५२ |
| आयकर | ५.५९ | २.४५ | ३.५८ | ६.०३ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| आकस्मिक राखीव साठी योगदान | १.३८ | ०.०० | १.३८ | १.३८ |
| **एकूण महसुली खर्च** | **५९.४५** | **२८.१९** | **३१.८३** | **६०.०२** |
| आर ओ ई | २१.५२ | १०.७३ | १०.७३ | २१.४६ |
| **एकूण महसुली आवश्यकता** | **८०.९८** | **३८.९२** | **४२.५६** | **८१.४८** |
| वजा: शुल्क नसलेले उत्पन्न | ०.९१ | ०.४५ | ०.४५ | ०.९१ |
| **निव्वळ एकूण महसुली आवश्यकता** | **८०.०७** | **३८.४७** | **४२.१०** | **८०.५७** |

### १.३.२ आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी महसूल फरक

आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील महसूल वसूली ही सन्माननीय आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी पारित केलेल्या २०१८ च्या प्रकरण क्र. २६५ नुसार निर्धारीत केलेल्या राज्यांतर्गत प्रेषण मूल्यनुसार विचारात घेतली जाईल. याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष २०१९-२० दरम्यान, अंदाजे महसूल वसूली लक्षात घेऊन जेपीटीएलने दावा केलेला महसूल फरक खाली नमूद करण्यात आला आहे:

**तक्ता४ : आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी महसूल फरक (रु. कोटींमध्ये)**

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|---|---|
| एकूण एआरआर | ८०.५७ |
| प्रेषण दरातून एआरआर वसुली | ८०.०७ |
| **महसुली अंतर / (अतिरिक्त)** | **०.५०** |

### १.४आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या नियंत्रीत कालावधी दरम्यान बहुवर्षीय मूल्य याचिका

एमईआसी एमवायटी नियम २०१९ अन्वये, जेपीटीएलने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या नियंत्रीत कालावधी दरम्यान एमवायटीसाठी अंदाजपत्रके तयार केली आहेत. नियंत्रीत कालावधीसाठीच्या एआरआरच सारांश खाली नमूद करण्यात आला आहे:

**तक्ता ५: एमवायटी नियंत्रीत कालवधीसाठी एकंदर महसूल आवश्यकता (रु. कोटींमध्ये)**

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ | आर्थिक वर्ष २०२१-२२ | आर्थिक वर्ष २०२२-२३ | आर्थिक वर्ष २०२३-२४ | आर्थिक वर्ष २०२४-२५ |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रचालन आणि देखरेख खर्च | ५.२८ | ५.४४ | ५.६२ | ५.०७ | ५.२७ |
| घसारा | २९.१५ | २९.१९ | २९.१८ | २९.१८ | २९.१९ |
| दीर्घ मुदत कर्ज व्याज | १४.३२ | ११.६९ | ८.९६ | ६.२३ | ३.५१ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १.७२ | १.४४ | १.४१ | १.३७ | १.३४ |
| आयकर खर्च | | | | | |
| आकस्मिक राखीव साठी योगदान | १.३८ | १.३९ | १.३९ | १.३९ | १.३९ |
| **एकूण महसुली खर्च** | **५१.८६** | **४९.१३** | **४६.५६** | **४३.२४** | **४०.६९** |
| आर ओ ई | २४.८३ | २४.९१ | २४.९१ | २४.९१ | २४.९१ |
| **स्थूल एकूण महसुली आवश्यकता** | **७६.६९** | **७४.०४** | **७१.४६** | **६८.१४** | **६५.६०** |
| वजा: शुल्क नसलेले उत्पन्न | १.०१ | १.१२ | १.२३ | १.३३ | १.४४ |
| **निव्वळ एकूण महसुली आवश्यकता** | **७५.६८** | **७२.९२** | **७०.२४** | **६६.८१** | **६४.१५** |
| जमा: अंतर/(अतिरिक्त) आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी टू अप म्हणून | १६.७३ | | | | |
| जमा: अंतर/(अतिरिक्त) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी टू अप म्हणून | -३.३२ | | | | |
| जमा: अंतर/(अतिरिक्त) आर्थिक वर्ष २०१९-२० ए आर आर करिता | ०.५० | | | | |
| आर्थिक वर्ष २०१५-१६ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंतची वहन किंमत/ (धारण किंमत) | ७.२८ | | | | |
| **पूर्वीचे अंतर समायोजन करून एकूण वार्षिक महसुली आवश्यकता** | **९६.८७** | **७२.९२** | **७०.२४** | **६६.८१** | **६४.१५** |

## १.५ सन्माननीय आयोगाला करण्यात आलेल्या विनंत्या

जेपीटीएल नम्रतेने सुधारित याचिका दाखल करत आहे आणि माननीय आयोगाकडे विंनती करते की-

क) आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि आर्थिक वर्ष १०१८-१९ साठी टू अप, एमवायटी नियम २०१५ नुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० ची तात्पुरते टू अप आणि एमवायटी नियम २०१९ नुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या नियंत्रीत कालावधी साठी एकंदर महसूल आवश्यकता मान्यतेसाठी याचिका दाखल करून घ्यावी,

ख) आधीच्या फरकासह जेपीटीएलच्या एआरआरचे टू अप मान्य करावे तसेच एमवायटी नियम २०१५ नुसार आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी उच्च प्रेषण उपलब्धतेसाठी प्रोत्साहन द्यावे

ग) एमवायटी नियम २०१५ नुसार या याचिकेत दाखल केलेली आर्थिक वर्ष २०१९-२० चे तात्पुरते टू अप मान्य करावे

घ) एमवायटी नियम २०१९ नुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०१४-१५ या नियंत्रीत कालावधीसाठी प्रस्तावीत महसूल आवश्यकतेला मान्यता द्यावी

च) एमवायटी नियंत्रीत कालावधी अर्थात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मूळ ओअँडएम खर्चाव्यतिरिक्त प्रेषण प्रणाली दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाला मान्यता द्यावी

छ) एमवायटी नियंत्रीत कालावधी अर्थात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ओअँडएम निकषांचा वास्तविकतेच्या आधारावर पुनर्विचार केला

ज) याचिकेत सादर करण्यात आल्यानुसार प्रेषण मूल्यातील पूर्वीच्या फरकाची वसूली करण्याची अनुमती मिळावी

झ) सन्माननीय एपीटीईएल आदेशानुसार आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या विलंब देय रकमेचा दावा करण्याची अनुमती मिळावी आणि त्याचा समावेश शुल्क नसलेल्या उत्पन्नात करू नये, तसेच आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी कर आणि प्रोत्साहनाच्या मोजणीवर त्याच्या लगेच होणाऱ्या परिणामाला मान्यता द्यावी

ट) अनावधानाने झालेल्या नजरचुका, त्रुटी, उणीवांमध्ये सूट देऊन जेपीटीएलला या कागदपत्रांमध्ये जोडणी /बदल/परिवर्तन/सुधारणा करून पुढील तारखेला आवश्यकतेनुसार आणखी कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी द्यावी; आणि

ठ) या खटल्यातील सत्यता आणि घटना बघून त्यांना योग्य असतील असे अन्य किंवा पुढील आदेश पारित करावे